

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सं०सं०-17/विविध 1-38/2025 - 334(17)
आदेश

पटना, दिनांक- 01/04/2025

डा० फैयाज अहमद अंसारी, सहायक प्राध्यापक (मूल कोटि), न्यूरोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को वित्त विभागीय पत्रांक-9889/वि० दिनांक-01.12.2015 के आलोक में दिनांक-25.03.2025 से 08.04.2025 (कुल 15 दिन) तक की अवधि में अपने द्वितीय सतान हेतु पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2 उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :-17/विविध 1-38/2025 - 334(17)

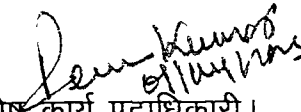
पटना, दिनांक :- 01/04/2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा० फैयाज अहमद अंसारी, सहायक प्राध्यापक (मूल कोटि), न्यूरोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।